लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2269

02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम

2269. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस महामारी ने इस अवधि के दौरान और उसके बाद अनेक परिवारों, विशेषकर कमजोर समुदायों की आजीविका को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तिरुमपुर और अन्य वस्त्र केन्द्रों में सिले-सिलाए वस्त्र क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वस्त्र और सिले-सिलाए वस्त्र क्षेत्रों में कार्यरत बच्चे घरों से काम कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टियर-3 और टियर-4 से विलग आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार विशेषकर वस्त्र अथवा परिधान उद्योग के लिए उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के संबंध में दिशा-निर्देश बना रही है और यदि हां, तो इसे कब तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने वस्त्र क्षेत्र सहित देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। चूंकि वस्त्र क्षेत्र मुख्य रूप से असंगठित और पारंपरिक प्रकृति का है, इसलिए इस क्षेत्र से संबंधित डेटा बिखरा हुआ है और मात्रा निर्धारण के लिए काफी हद तक अनुपलब्ध है। तथापि, वस्त्र कामगारों की आजीविका के नुकसान के विशिष्ट मामले सामने नहीं आए हैं।

(ख) और (ग): सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक समग्र और बहुआयामी रणनीति का अनुसरण कर रही है। उद्योग निकायों और निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से चलाए गए जागरूकता अभियान कानूनों और विनियमों के पालन पर जोर देते हैं, जिसमें वस्त्र क्षेत्र में बाल श्रम के रोजगार के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी शामिल है।

(घ): कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लाए गए जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) को व्यवसाइयों को जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। एनजीआरबीसी के तहत, रेडी-मेड गारमेंट (आरएमजी) क्षेत्र के उद्योगों के लिए इन दिशानिर्देशों को अपनाने में संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

***